कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

E-mail ID :: dfotechwara@mp.gov.in P.- (07162)243457, Fax (07162)242267

क्रमांक/मा.चि./2020/ 1606 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 27/7/2020

प्रति,

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग क्रं. 2

छिंदवाड़ा

विषय :- तंसरा नोनीछापर मार्ग लंबाई 7.50 कि.मी. का निर्माण कार्य वनक्षेत्र में करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत्। प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/46086/2020

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 3551 / त.शा. / 2020-21 दिनांक 13.07.2020

===

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि तंसरा नोनीछापर मार्ग 7.50 कि.मी. मार्ग के एक रेखण में 5.36 कि.मी. लंबाई में वनभूमि है जिस हेतु 5.75 मी. चौड़ाई (5.36 कि.मी. लंबाई x 5.75 मीटर चौड़ाई)(3.082 हे.) वनक्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति हेतु आनलाईन पोर्टल (Parivesh.nic.in) पर अपलोड कर हार्डकापी में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 3.082 हे. के बदले समतुल्य भूमि 3.082 हे. या छोटे बडे झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि दो गुना अर्थात् 6.164 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित कर उपलब्ध करावे ताकि उक्त भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता का परीक्षण कर उपयुक्ता प्रमाण पत्र उपवनमंडलाधिकारी से प्राप्त किया जा सके साथ ही उक्त भूमि का अंक्षाश देशांश सहित पॉलीगान मैप एवं KML फाईल तैयार कर साफ्ट कापी एवं हार्डकापी में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./2020/ 1607 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 27/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैरवनभूमि उपलब्ध कराने हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित करने का कष्ट करे।
2. उपवनमंडलाधिकारी छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है या नहीं का प्रमाण पत्र एवं प्रस्तावित भूमि से निकटतम वनक्षेत्र की दूरी दर्शाकर प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
3. परिक्षेत्राधिकारी छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण नियमानुसार प्रतिवेदन प्रेषित करे एवं साथ ही प्रस्तावित मार्ग में वनक्षेत्र में प्रभावित वनभूमि में कितने वृक्ष प्रभावित हो रहे है वृक्षों की गणना कर गणना पत्रक गोलाईवार प्रपत्र में तैयार कर शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा